न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–ओमप्रकाश वर्मा **आर.ए.एस**

प्रार्थना पत्र–62/2019

प्रार्थी–

1. रामविलास उर्फ रामनिवास पुत्र डालाराम
   जाति–जाट, निवासी–तरनाऊ, तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 26/12/22

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामविलास पुत्र डालाराम है। जिसकी खातेदारी भूमि ग्राम तरनाऊ तथा ग्राम धारणा मे आई हुई है। ग्राम तरनाऊ के खाते मे तो प्रार्थी का नाम रामविलास सही दर्ज हो गया है लेकिन ग्राम धारणा के खाता सं. 424 मे जिसमें भूमि ख.न. 313 रकबा 28.17 बीघा दर्ज है मे प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र डालाराम दर्ज है। जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हुआ है। प्रार्थी के राशनकार्ड, आधारकार्ड, परिचय पत्र , भामाशाह कार्ड बैंकखाते की पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम रामविलास पुत्र डालराम ही दर्ज है। यह गलती हलका पटवारी के द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने या चौसाल जमाबन्दी तैयार के दौरान हुई है। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम इन्द्राज हो गया है।

ग्राम तरनाऊ में रामविलास पुत्र डालाराम नाम का एक मात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है। अन्य कोई व्यक्ति इस नाम का नहीं है। प्रार्थी के द्वारा किसान केडिट कार्ड तथा अन्य सरकारी काम में आनलाईन होने से प्रार्थी का मिलान नहीं खाने से परेशानी आने लगी है। जिसे दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जायल

प्रार्थी ने मय शपथ पत्र इस्तदुआ की है कि रामविलास पुत्र डालाराम नाम का ग्राम में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। तथा नाम दुरस्त किये जाने से किसी व्यक्ति को कोई हक प्रभावित नहीं होगा। तथा प्रार्थी का नाम दुरस्त होने पर प्रार्थी को सुविधा हो जायेगी। अतः प्रार्थी का नाम ग्राम धारणा के के खाता सं0 424 मे दर्ज नाम रामनिवास पुत्र डालाराम के स्थान पर सही नाम रामविलास पुत्र डालाराम दुरस्त करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गया। राजपैरोकार की ओर से भू.अ.निरीक्षक व हलका पटवारी की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भू.अ.निरीक्षक जांच रिपोर्ट मे उल्लेखित किया कि ग्राम तरनाऊ मे प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि ख.न. 314 व 315 में प्रार्थी का नाम रामविलास पुत्र डालाराम दर्ज है। तथा ग्राम धारणा की सहरद मे अवस्थिति भूमि के रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र डालाराम दर्ज हैं जो की भू.अ.नि. फरडोद के क्षेत्र का है। हलका पटवारी धारणा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम धारणा के ख.न. 313 मं रामनिवास पुत्र डालाराम की 1/2 भाग की सहखातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम न्यायालय हाजा के वाद सं. 192/88 सीताराम बनाम रामविलास में पारित निर्णय दिनांक 20.05.88 की पालना में डालाराम पुत्र शिवदान के स्थान पर रामनिवास पुत्र डालाराम के नामान्तकरण सं. 399 भरा गया। प्रार्थी का नाम न्यायालय के आदेश की पालना में दर्ज गया है जो सही है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी धारणा व भू.अ.निरीक्ष तरनाऊ तहसील जायल की रिपोर्ट, प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधारकार्ड संख्या, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, ग्राम तरनाऊ की के खाता सं. 80 व 81 सम्वत 2073–76 की नकले छायाप्रति पेश की गई। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम धारणा के ख.न. 314 व 315 में प्रार्थी का सही नाम रामविलास पुत्र डालाराम दर्ज किया जावे । दौराने बहस वकील प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण सं. 192/88 अनवान सीताराम बनाम रामविलास मे पारित निर्णय एवं डिक्री आदेश दिनांक 21.05.1988 तथा आदेश की पालना मे भरे गये नामांतकरण सं. 599 स्वीकृत दिनाक 6.10.1988 व नामान्तकरण सं. 399 स्वीकृत दिनांक 12.06.1988 की छायाप्रतिया प्रस्तुत कर ध्यान दिलाते हुये कथन किया कि निर्णत वाद मं प्रार्थी का नाम प्रतिवादी सं. 1 रामविलास पुत्र डालाराम अंकित था परन्तु लिपिकीय त्रुटी के कारण डिक्री आदेश मे रामविलास के स्थान पर रामनिवास टंकित हो गया। ग्राम तरनाऊ में निर्णय की पालना में भरा गया नामांतकरण में प्रार्थी का सही नाम ही रामविलास ही दर्ज किया गया है परन्तु ग्राम धारणा मं डिक्री आदेश में टंकित गलत नाम अनुसार ही प्रार्थी का गलत नाम रामनिवास खातेदारी में दर्ज हो गया। अतः ग्राम धारणा के खाता के ख.न. 313 में प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मे ग्राम तरनाऊ के ख.0 सं. 80 व 81 तथा ग्राम धारणा के ख.न. 313 की नकल जमाबन्दीयो का अवलोकन किया गया। ग्राम तरनाऊ में प्रार्थी का सही नाम रामविलास पुत्र डालाराम दर्ज है जबकि ग्राम

धारणा के ख.न. 313 की खातेदारी में रामनिवास पुत्र डालाराम 1/2 व डालाराम पुत्र शिवदान 1/2 दर्ज है। तथा डालाराम के फोतगी नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम रामविलास पुत्र डालाराम दर्ज है। राजस्व वाद सं 192/1988 मे सीताराम बनाम रामविलास की पलाना मे ग्राम तरनाऊ की सरहद में प्रार्थी का नाम रामविलास दर्ज किया गया है जबकि ग्राम धारणा में प्रार्थी का नाम रामनिवास दर्ज किया गया। एकी ही निर्णय आदेश की पालना में अलग अलग नामों से नामांतकरण दर्ज किया गया है। उपलब्ध रिकॉर्ड का भली भांती अवलोकन करने यह स्पष्ट होता है कि राजस्व वाद सं. 192/1988 मे पारित डिक्री आदेश में प्रार्थी का नाम का प्रतिवी सं. 1 में रामविलास के स्थान पर गलत नाम रामनिवास दर्ज हो गया जबकि वाद पत्र में प्रार्थी का नाम रामविलास ही अंकित था। जिसें वर वक्त 151, 152 सीपीसी के तहत दुरस्त करवाया जा सकता था। परंन्तु अब आदेश की पालना में नामांतकरण दर्ज हो जाने से डिक्री आदेश में संसोधन आदेश जारी किया जाना असम्भव है तथा प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में पूर्णतया कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, रामविलास व रामनिवास दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88 आरटी एक्ट, धारा 136 एलआर एक्ट का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम धारणा के खसरा नम्बर 313 में प्रार्थी का नाम रामनिवास के स्थान पर रामविलास दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं आरटी एक्ट 1955 की धारा 88 के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम धारणा तहसील जायल की जमाबंदी के खसरा नम्बर 313 दर्ज नाम रामनिवास के स्थान पर रामविलास दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26/12/22 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल